

प्रपत्र-“ब”

ग्रुप हाऊसिंग, व्यवसायिक एवं बहुखण्डी भवन के पूर्णता प्रमाण-पत्र हेतु आवेदन पत्र
(उपविधि संख्या-3.1.8)

गाजियाबाद विकास प्राधिकरण

भाग-अ

1. (i) आवेदक का नाम -----
(ii) वर्तमान पता -----
2. भूखण्ड संख्या तथा योजना का नाम / मोहल्ला / वार्ड -----
3. भूखण्ड का क्षेत्रफल (वर्गमीटर में) -----
4. भवन का अनुमन्य उपयोग -----
5. (i) भवन मानचित्र स्वीकृति की तिथि -----
(ii) परमिट संख्या -----
(iii) यदि स्वतः अनुमोदित है तो प्राविधान का विवरण :
यदि भवन मानचित्र जमा करने की तिथि से निर्धारित अवधि में भवन मानचित्र अस्वीकृति की सूचना न दी गई हो -
मानचित्र जमा करने की तिथि, रसीद संख्या एवं रसीद की प्रमाणित प्रति संलग्न करें : -----
6. (i) यदि अनधिकृत निर्माण का शमन कराया गया हो तो शमन मानचित्र की प्रति संलग्न करें -----
(ii) शमन शुल्क भुगतान की तिथि, रसीद संख्या एवं रसीद की प्रमाणित प्रति संलग्न करें -----

7. निर्माण की स्थिति :

क्रमांक	प्राविधान	अनुमन्य	निर्मित	स्वीकृत / शमन किया गया विचलन
1	2	3	4	5

7.1 भू-आच्छादन (प्रतिशत)

7.2 एफ.ए.आर.

7.3 सैट बैक (दूरी मीटर में)

(क) सामने

(ख) पीछे

(ग) दाएँ

(घ) बाएँ



क्रमांक	प्राविधान	अनुमन्य	निर्मित	स्वीकृत/शमन किया गया विचलन
1	2	3	4	5

- 7.4 (अ) बेसमेन्ट क्षेत्रफल व.मी. में)
7.4 (ब) बेसमेन्ट का उपयोग
7.5 स्टिल्ट फ्लोर
(अ) क्षेत्रफल
(ब) उपयोग
7.6 पार्किंग ((क्षेत्रफल व.मी. में)
7.7 भवन की ऊँचाई (मीटर में)
7.8 मंजिलों की संख्या
8. अग्निशमन से सम्बन्धित कार्य
(मुख्य अग्निशमन अधिकारी से फायर फाइटिंग सिस्टम की पूर्णता का प्रमाण-पत्र संलग्न करें)
9. सुविधाओं को मानचित्र पर दर्शाया जाए :
(क) जल-आपूर्ति
(ख) मलोत्सारण
(ग) जल निकास
(घ) सोलर वाटर संयन्त्र
(ङ) विद्युत आपूर्ति
(च) लिफ्ट
(चीफ इलैक्ट्रिकल इन्सपेक्टर, उ.प्र. से लिफ्ट के पूर्णता का प्रमाण-पत्र संलग्न करें)
10. गारवेज शूट (है/नहीं)
11. एविएशन क्षेत्र में स्थित होने की दशा में
एविएशन लाइट्स लगी हैं/नहीं लगी हैं
12. रेनवाटर हार्वेस्टिंग प्रणाली (पंजीकृत अनुज्ञापित तकनीकी व्यक्ति का प्रमाण-पत्र संलग्न करें)
(है/नहीं)
13. भवन में आन्तरिक परिवर्तन :
(क) उपविधियों के अन्तर्गत है/नहीं है
(ख) यदि उपविधियों के विपरीत है तो
उसका शमन हो चुका है। हाँ/नहीं

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त विवरण मेरी/हमारी व्यक्तिगत जानकारी के अनुसार सत्य है। लागू भवन उपविधियों के अन्तर्गत ऐसा अनधिकृत निर्माण नहीं है जो शमन न कराया गया हो। अतः उक्त भूखण्ड पर किए गए निर्माण हेतु पूर्णता प्रमाण-पत्र निर्गत किया जाए।

संलग्नक अभिलेख :

1. आवेदन हेतु अधिकृत आवेदक के हस्ताक्षर
2. (अधिकृत होने के प्रमाण-पत्र सहित)
- 3.

दिनांक

टिप्पणी :- 1. उक्त सूचना केवल आवेदन के लिए अधिकृत व्यक्ति के द्वारा दी जाएगी। अधिकृत होने का प्रमाण पत्र संलग्न किया जाएगा।

2. भवन कामप्लेक्स में प्रत्येक ब्लॉक के लिए अलग-अलग आवेदन-पत्र प्रस्तुत करने होंगे।



भाग-ब

पंजीकृत वास्तुविद्/अभियंता का प्रमाण पत्र
(ग्रुप हाऊसिंग/व्यवसायिक एवं बहुखण्डी भवन हेतु)

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती (आवेदक का नाम) के भूखण्ड संख्या.....
खसरा संख्या पर स्थित भवन संख्या का
निर्माण/पुनर्निर्माण/परिवर्तन/परिवर्धन कार्य मेरे पर्यवेक्षण में किया गया। उपरोक्त दी गई समस्त
सूचनाएं सही हैं। इस संदर्भ में मेरी आख्या निम्नवत् हैं :-

निर्मित भवन, लागू उपविधियों एवं स्वीकृत मानचित्र/स्वीकृत शमन मानचित्र के अनुसार है।

अथवा

निर्मित भवन में स्वीकृत मानचित्र अथवा स्वीकृत शमन मानचित्र से जो विचलन है वह क्रमांक -7 पर
अंकित कर दिया गया है।

भवन जिस प्रयोजन हेतु निर्मित/पुनर्निर्मित/परिवर्तित किया गया है उस हेतु उपयुक्त है। इसकी
गुणवत्ता उच्च श्रेणी की है एवं स्ट्रक्चर के आधार पर सुरक्षित है। भवन निवास हेतु पूर्णतया उपयुक्त
एवं सुरक्षित है।

अतः पूर्णता-प्रमाण पत्र निर्गत करने की संस्तुति की जाती है।

हस्ताक्षर: पंजीकृत वास्तुविद्/अभियंता

नाम/पता

काउन्सिल आफ आर्कीटेक्चर का

पंजीकरण/लाइसेन्स संख्या

दिनांक

लाइसेन्स वैधता की अवधि

भाग-स

रेनवाटर हार्वेस्टिंग के सम्बन्ध में पंजीकृत अनुज्ञापित व्यक्ति का प्रमाण पत्र
(ग्रुप हाऊसिंग/व्यवसायिक एवं बहुखण्डी भवन हेतु)

निर्मित भवन में रेनवाटर हार्वेस्टिंग (रूफ टाफ रेनवाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम) का प्राविधान विकास
प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत भवन मानचित्र/लागू उपविधियों के अनुरूप किया गया है।

हस्ताक्षर :

पंजीकृत अनुज्ञापित व्यक्ति

नाम/पता

लाइसेन्स संख्या

दिनांक



भाग-द**विकास प्राधिकरण की अभ्युक्ति एवं पूर्णता प्रमाण-पत्र :****(आवेदन पत्र के भाग ‘अ’, ‘ब’ एवं ‘स’ की फोटोकापी पर जारी किया जाए)**

— — — — — वार्ड/योजना/मोहल्ला/सेक्टर में स्थित भूखण्ड संख्या— — — — —पर निर्मित भवन के सम्बन्ध में दिए गए उपरोक्त प्रमाण पत्र का परीक्षण श्री— — — — —(पदनाम) गाजियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा कर लिया गया है एवं निर्माण कार्य प्राधिकरण द्वारा दिनांक— — — — —को स्वीकृत मानचित्र के अनुरूप सही पाया गया है। अतः उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास अधिनियम, 1973 की धारा-15 क (2) के अनुसार पूर्णता प्रमाण पत्र जारी किया जाता है।

हस्ताक्षर

पदनाम

कार्यालय की मुहर

दिनांक

